बिहार सरकार
पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग
पशुपालन निदेशालय
विकास भवन, नया सचिवालय, पटना-15
बिहार सरकार

पत्रांक – 12नि०/प०ग० (पशुक्रूरता) 01/2023......................................, दिनांक– ..../2025

प्रेषक

उज्ज्वल कुमार सिंह, भा०प्र०से०,
निदेशक, पशुपालन।

सेवा में

सभी जिला पदाधिकारी, बिहार।
सभी वरीय पुलिस अधीक्षक/ पुलिस अधीक्षक, बिहार।

विषयः– **स्टेट एस०पी०सी०ए०, बिहार, पटना के संबंध में।**

महाशय

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि स्टेट एस०पी०सी०ए०, बिहार की ओर से सरकार स्तर पर पत्र प्राप्त हो रहे है।

उल्लेखनीय है कि स्टेट एस०पी०सी०ए०, बिहार, एक निजी अमान्यता प्राप्त संस्था है। पूर्व में राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित/निर्गत आदेश/दिशा–निर्देश द्वारा उक्त संस्था को पशुक्रूरता निवारण संबंधी कार्य के लिए शक्ति प्रदत्त की गयी थी। परन्तु कालान्तर में अधिसूचना संख्या–8287, दिनांक–18.09.1987 द्वारा उक्त संस्था को प्रदत्त शक्ति वापस ले ली गयी है (छायाप्रति संलग्न)। वर्त्तमान में उक्त संस्था विभागीय स्तर से पशुक्रूरता निवारण कार्य के लिए अधिसूचित नहीं है। अब यह शक्ति राज्य सरकार की संस्थाओं में निहित की गई है।

इस क्रम में उल्लेखनीय है कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, बिहार, पटना के स्तर से मात्र 02 (दो) संस्था ही पशुक्रूरता निवारण कार्य के लिए अधिसूचित है। जिला स्तर पर जिला पशु क्रूरता निवारण सोसाइटी एवं राज्य स्तर पर राज्य पशु कल्याण बोर्ड गठित है। इसके अतिरिक्त कोई भी अन्य संस्था विभागीय स्तर से पशुक्रूरता निवारण कार्य हेतु विभाग की ओर से प्राधिकृत नहीं है। स्टेट एस०पी०सी०ए० को विभाग स्तर से कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त बिहार सरकार द्वारा अधिसूचित जिला पशुक्रूरता निवारण सोसाइटी से अन्यत्र किसी निजी स्टेट एस०पी०सी०ए०, द्वारा कार्य करने से PCA (Establishment and Regulation of Societies for Prevention of cruelty to Animals) Rules, 2001 के Rule-3 का उल्लंघन होता है।

उपर्युक्त वस्तुस्थिति के आलोक में अनुरोध है कि अपने जिलान्तर्गत संचालित निजी सभी एस०पी०सी०ए०, बिहार पर अंकुश लगाने की आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

अनुलग्नक–यथोक्त।

विश्वासभाजन
ह०/–
निदेशक, पशुपालन।

ज्ञापांकः–12नि०/प०ग० (पशुक्रूरता) 01/2023.....3861(...)....पटना–15, दिनांक–..31../..10../2025

प्रतिलिपिः– विभागीय आई०टी०मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

31/X/25

निदेशक, पशुपालन।

Government of Bihar
Department of Animal Husbandry and Fisheries
(Animal Husbandry)

* * *

" NOTIFICATION "

Patna-15, the 18 September, 1987.

No. 8287 / Powers conferred to the officers of the Society for Prevention of Cruelty to Animals by the State Government under Sub-Section (3) of Section 13, Sections 18, 25, Sub-Sections (1) & (2) of Section 32 and Section 34 of the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 are withdrawn with immediate effect and all such powers under the said act shall be conferred to the general law enforcing agencies of the State Government.

By order of the Governor of Bihar,

Sd/- [illegible] S. K. Sinha,
Special Secretary to Government.

Memo No. 5H(3)-6011/87A.H. 8287 / Patna-15, the 18/9/87

Copy forwarded to the Superintendent, Government Printing Press, Gulzarbagh, Patna for information and publication in the next issue of Bihar Gazette.

Sd/- S. K. Sinha,
Special Secretary to Government.

Memo No. 8287 Patna-15, the 18/9/87

Copy forwarded to all Departments of Government/All Heads of Department/all Divisional Commissioners/All Deputy Commissioners/All District Magistrates & Collectors for information.

Special Secretary to Government.

Memo No. 8287 Patna-15, the 18/9/87

Copy forwarded to all Officers of the Headquarters/all Assistants of Headquarters and all Subordinate officers of the Animal Husbandry Department for information and necessary action.

Special Secretary to Government.